मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 01
01.12.2025 को उत्तर के लिए

'एक पेड़ मां के नाम' योजना के अंतर्गत वनरोपण

01. श्री अमरा राम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष में हाल ही में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में वैश्विक तापन की वजह से ज़्यादा बारिश, गर्मी, ठंड और मौसमी बारिश की वजह से खेती को हुए नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) वर्तमान वर्ष में 'एक पेड़ मां के नाम' नाम की योजना के तहत कितने पेड़ लगाए गए और उन पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) राजस्थान में सौर ऊर्जा कंपनियों ने कितने पेड़ काटे हैं और उनकी जगह कितने पेड़ लगाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सरकार ने देश में कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग (विश्वव्यापी ताप क्रम वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) को प्रारम्भ की गई थी, जो देश में जलवायु संबंधी कार्यों के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी देश को जलवायु परिवर्तन को अपनाने और उसके विकास मार्ग की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है। एनएमएसए का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलते जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल और सक्षम बनाने के लिए कार्यनीतियों को तैयार करना और इनका कार्यान्वयन करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल (एनआईसीआरए) नामक सर्वोत्कृष्ट नेटवर्क परियोजना

को शुरू किया है। इस परियोजना के माध्यम से देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न जलवायु परिवर्तन शमन कार्यकलाप किए गए हैं। अन्य कार्यकलापों में, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजना राष्ट्रीय परियोजना 'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन' और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित की जा रही है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) और एकीकृत बागवानी, कृषिवानिकी विकास मिशन तथा राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन के संवर्धन को बढ़ावा देते हैं।

(ख) इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 01.04.2025 से 28.11.2025 तक लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या 113,99,06,411 है। राज्यवार वृक्षरोपण की सूचना **अनुलग्नक-I** में प्रदान की गई है।

(ग) वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारत में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने और वनों की सुरक्षा को व्यापक रूप से भारतीय वन अधिनियम, 1927**,** वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980**,** और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सहित संबंधित नियमों और राज्य स्तर के क़ानूनों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। मंत्रालय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों के के समन्वय से, वृक्षारोपण, वन संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम)**,** प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और अन्य क्षेत्रीय संबंधित विशेष पहल शामिल हैं।

मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के अंतर्गत जोधपुर, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (एएफ़आरआई) की स्थापना की है। एएफ़आरआई का दायित्वों में विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार, वानिकी को वैज्ञानिक और सतत प्रबंधन का संवर्धन करना है। यह संस्थान वानिकी अनुसंधान की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्त्व के मामलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धतों में सूचित निर्णय लिए जाने में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक " तक 28.11.2025 से 01.04.2025एक पेड़ माँ के नाम" कार्यक्रम का राज्यवार सारांश		
क्र.स.	**राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/**	**कुल पौधे**
1.	अंडमान और निकोबार	12,56,179
2.	आंध्र प्रदेश	3,68,80,847
3.	अरुणाचल प्रदेश	12,09,403
4.	असम	60,01,217
5.	बिहार	1,29,06,627
6.	चंडीगढ़	3,57,933
7.	छत्तीसगढ़	2,52,00,159
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	1,42,210
9.	दिल्ली	28,98,646
10.	गोवा	3,55,832
11.	गुजरात	10,91,77,473
12.	हरियाणा	1,25,61,338
13.	हिमाचल प्रदेश	11,97,384
14.	जम्मू और काश्मीर	11,72,864
15.	झारखंड	89,54,519
16.	कर्नाटक	2,68,63,240
17.	केरल	9,13,554
18.	लद्दाख	4,806
19.	लक्षद्वीप	7,067
20.	मध्य प्रदेश	,6,46,15,811
21.	महाराष्ट्र	3,17,24,077
22.	मणिपुर	60,66,331
23.	मेघालय	10,39,571
24.	मिजोरम	1,97,679
25.	नागालैंड	17,62,982
26.	ओडिशा	7,54,79,686
27.	पुदुच्चेरी	43,695
28.	पंजाब	1,13,03,611
29.	राजस्थान	14,44,17,806
30.	सिक्किम	10,23,866
31.	तमिलनाडु	22,84,085
32.	तेलंगाना	11,70,27,962
33.	त्रिपुरा	22,33,902
34.	उत्तर प्रदेश	42,10,43,061
35.	उत्तराखंड	1,13,44,981
36.	पश्चिम बंगाल	2,36,007
कुल		**1,13,99,06,411**

******